किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि हस्तान्तरित

मुख्यमंत्री दुर्गापुरा के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान से वीसी के जरिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जुड़े

- प्रधानमंत्री ने की किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी
- हमारी सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान देश की आत्मा है। इनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करोड़ों किसान परिवारों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त हस्तान्तरित की है। इनमें राजस्थान के 66 लाख 76 हजार से अधिक किसान शामिल हैं, जिन्हें 1 हजार 355 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को असम के गुवाहाटी में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के हस्तान्तरण कार्यक्रम तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन एवं उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुर्गापुरा के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान से वीसी के जरिए प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में जुड़े और उनका संबोधन भी सुना।

इसी कड़ी में शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता में किसान हमेशा से हैं। गत वर्षों में उनके नेतृत्व में किसान संबंधी नीति में नई सोच आई है। अब किसान को देश की ताकत माना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दृढ़ संकल्प है कि भारत का किसान समृद्ध बने। इस दिशा में अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रमुख है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल राज्य सरकार की ओर से 3 हजार रुपये की अतिरिक्त सम्मान राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस सम्मान निधि की राशि को चरणबद्ध रूप से 12 हजार रुपये तक बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। फसल बीमा योजना में खराबे पर पूर्ववर्ती सरकार से ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है। इस योजना में अब तक 6 हजार 473 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम राज्य में वितरित किए जा चुके हैं।शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने कृषकों के कल्याण को ध्यान में रखकर गत सरकार के अंतिम वर्ष 2023-24 के मुकाबले ऐतिहासिक 34 प्रतिशत की वृद्धि करके वर्ष 2026-27 में कृषि बजट 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये रखा है। वहीं, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत अब तक 16 लाख से अधिक पशुओं की निशुल्क बीमा पॉलिसी जारी की गई है और पॉलिसी धारकों को लगातार क्लेम वितरण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन गांवों में सेवा दे रहे हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध हो रहा है। इस योजना में अब तक 682 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' की पहलों को प्रभावी रूप से लागू करने में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।इसी क्रम में अन्न भंडारण योजना के तहत राज्य में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है। वर्ष 2026-27 के बजट में भी 500 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। वहीं, 250 और 100 मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदामों के निर्माण तथा पुराने गोदामों के नवीनीकरण से भंडारण क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

घरेलू सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी लाइन में घंटो इंतज़ार कर रहे हैं उपभोक्ता। शास्त्री नगर स्थित खंडेलवाल कॉलेज के पीछे गैस सिलेंडर लेने वालों की लगी भीड़।

16 स्थायी वारंटी और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया

जयपुर। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और पेडलरों के खिलाफ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है।

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के मार्गदर्शन में चलाए गए 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' के तहत शहरभर में एक साथ दबिश देकर कुल 281 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि इस अभियान के दौरान एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करते हुए 36 किलो 6 ग्राम गांजा, 11.85 ग्राम स्मैक और 11,350 रुपए की बिक्री राशि बरामद की गई।

इस दौरान एनडीपीएस एक्ट के 61 प्रकरण दर्ज कर 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं विशेष पुलिस कमिश्नर (ऑपरेशंस) ओमप्रकाश के निर्देशन और पुलिस उपायुक्त अभिजीत सिंह की निगरानी में शहर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जिलों में एक साथ अभियान चलाया गया।

डबल इंजन सरकार की गैस खत्म, जनता बेहाल : टीकाराम जूली

- 'वर्तमान गैस संकट से प्रभावित छोटे व्यवसायियों, थड़ी-ठेले वालों और मजदूरों को सरकार तत्काल आर्थिक मदद और राहत दे'

जयपुर। राजस्थान में गहराते रसोई गैस संकट ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण की पोल खोलकर रख दी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य की वर्तमान स्थिति पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की संस्था पूरी तरह अदृश्य हो चुकी है। तथाकथित डबल इंजन सरकार की गैस बीच राह में ख़त्म हो गई है, जिससे प्रदेश की जनता को अधर में छोड़ दिया गया है।

जूली ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सीधा सवाल दागते हुए पूछा कि जब प्रदेश की जनता एक-एक सिलेंडर के लिए सड़कों पर है, तब मुख्यमंत्री और उनका प्रशासनिक अमला आखिर कहाँ अदृश्य हो चुका है ? ज़मीनी हकीकत यह है कि सरकार के कागजी निर्देशों का कालाबाजारी करने वालों पर रत्ती भर भी खौफ नहीं है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बयान इस तरह के आए हैं कि दावा कर रहे हों कि राजस्थान में एलपीजी गैस का कोई संकट नहीं है। यह बेहद आश्चर्यजनक है कि रोज बिगड़ती स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री जी एवं भाजपा नेता ऐसे दावे कैसे कर सकते हैं? क्या उनका धरातल से संपर्क बिल्कुल ही टूट चुका है एवं क्या ये लोग सिर्फ अधिकारियों की ब्रीफिंग पर ही निर्भर हैं?

नेता प्रतिपक्ष ने गैस संकट के सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए कहा कि यह केवल ईंधन की कमी नहीं, बल्कि गरीबों की आजीविका पर सीधा हमला है। राजधानी जयपुर में ही लगभग 10 हजार ऑटो के पहिए थम जाने से हजारों परिवारों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। ग्रामीण अंचलों की स्थिति तो और भी भयावह है, जहाँ अगली बुकिंग के लिए 45 दिनों का लंबा इंतजार आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। गरीबों की परेशानी का जिक्र करते हुए जूली ने कहा कि साधन-संपन्न लोग तो इंडक्शन कुकर जैसे विकल्प अपना लेंगे, लेकिन थड़ी पर चाय बनाने वाले या छोटे ढाबे चलाने वालों की कमाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। ऐसे में वहां काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी क्या भाजपा सरकार उठाएगी?

शिक्षा नगरी कोटा से लेकर भरतपुर तक के हालात का जिक्र करते हुए जूली ने कहा कि भाजपा राज में अब छात्रों के निवाले पर भी संकट मंडराने लगा है।

पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित चार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

- ाल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की ओर से साल 2024 में एफआईआर दर्ज की गई थी
- आरोपी सुबोध अग्रवाल सहित अन्य तीनों आरोपियों का सुराग नहीं मिल रहा

जयपुर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुडे मामले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित तीन अन्य जितेन्द्र शर्मा, संजीव गुप्ता और मुकेश गोयल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

एसीबी की ओर से अदालत को बताया गया था कि मामले में काफी तलाश के बाद भी आरोपी सुबोध अग्रवाल सहित अन्य तीनों आरोपियों का सुराग नहीं मिल रहा है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाए। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट जारी कर तलब किया है।

गौरतलब है कि गत माह एसीबी ने सुबोध अग्रवाल सहित पीएचईडी के अन्य अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान एसीबी ने 9 अफसरों को गिरफ्तारी किया था, लेकिन सुबोध अग्रवाल उनकी पकड़ से बाहर चल रहे हैं। पूर्व में एसीबी ने सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया था। एसीबी को आशंका थी कि सुबोध अग्रवाल विदेश भाग सकते हैं।

ऐसे में उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोकने के लिए यह लुकआउट नोटिस जारी किया गया। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की ओर से साल 2024 में एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच में सामने आया कि ठेका फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल के संचालकों ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर पीएचईडी के अफसरों से मिलीभगत कर करीब 960 करोड रुपए के टेंडर हासिल किए। प्रकरण में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी भी गिरफ्तार होकर लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हैं।

हाईकोर्ट ने 20 हजार रुपए के हर्जाने के साथ याचिका खारिज की

- याचिका के विचारणीय नहीं होने के चलते उसे बीस हजार रुपये के हर्जाने के साथ खारिज की
- 'समान मुद्दे पर नई याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर लंबित याचिका के बावजूद भी समान याचिकाकर्ता की ओर से उसी जगह के अतिक्रमण को नई याचिका के जरिए चुनौती देने को गंभीर माना है। इसके साथ ही अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर बीस हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया है।

एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश विजय कुमार बोयत व तीन अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने कहा कि समान मुद्दे पर याचिकाकर्ता की जनहित याचिका लंबित चल रही है।

ऐसे में नई याचिका में उन्हीं बिंदुओं को उठाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। इस पर अदालत ने कहा कि याचिका क्वींस रोड और उसके आसपास के इलाके में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए दायर की गई है।

पूर्व की याचिका में भी यह मामला उठाया गया था और उस पर सुनवाई चल रही है।

ऐसे में समान मुद्दे पर नई याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए याचिका के विचारणीय नहीं होने के चलते उसे बीस हजार रुपये के हर्जाने के साथ खारिज किया जाता है।

इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने की गुहार की। जिसकी अनुमति देते हुए अदालत ने कहा कि याचिका को वापस ली गई मानते हुए खारिज किया जाता है, लेकिन समान मुद्दे पर नई पीआईएल लगाने पर उन पर हर्जाना तो फिर भी लगाया जाएगा।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

राजस्थान सरकार

निश्चय राजस्थान

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

मन की सुनें, जीवन चुनें

मानसिक रोगों के सामान्य लक्षण

- लगातार उदासी, निराशा या अकेलापन महसूस होना
- अत्यधिक तनाव, घबराहट या चिंता रहना
- पढ़ाई, काम या दैनिक गतिविधियों में रुचि कम हो जाना
- चिड़चिड़ापन, गुस्सा या मूड में बार-बार बदलाव
- दोस्तों और परिवार से दूरी बनाना या अकेले रहना
- नकारात्मक विचार या आत्महत्या जैसे विचार आना
- बिना वजह शक एवं वहम करना
- भावनात्मक रूप से निष्क्रिय होना एवं अपने संसार में खोये रहना
- स्वयं को हैसियत से बड़ा मानना एवं अति ऊर्जावान महसूस करना

मानसिक रोगों से बचाव के उपाय

- नियमित दिनचर्या अपनाएं और समय पर सोएं-जागें
- प्रतिदिन योग, ध्यान एवं व्यायाम करें
- सकारात्मक सोच रखें और तनाव को साझा करें
- सोशल मीडिया और मोबाइल का संतुलित उपयोग करें
- पढ़ाई या काम के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें
- स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद लें

मानसिक रोगों का उपचार

- आवश्यकता होने पर मनोरोग विशेषज्ञ अथवा मनोवैज्ञानिक से परामर्श लें
- डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयों का नियमित सेवन करें
- परिवार का सहयोग और भावनात्मक समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है
- समय पर उपचार से अधिकांश मानसिक रोग पूरी तरह नियंत्रित या ठीक हो सकते हैं

मानसिक स्वास्थ्य के लिए बजट 2026-27 की प्रमुख घोषणाएं

अवसाद, चिन्ता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राज-ममता (राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, मेंटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल) कार्यक्रम

टेलीमेडिसिन एवं उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हैल्थ की स्थापना

मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान कर परामर्श, उपचार, पुनर्वास एवं रेफरल सेवाओं के लिए जिला मुख्यालयों पर मेंटल हैल्थ केयर सेल की स्थापना

जिला चिकित्सालयों में मनोरोग चिकित्सकों के साथ मनोवैज्ञानिक काउंसलर्स

विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में तनाव प्रबंधन एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरुकता अभियान

राजस्थान संवाद

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के लिए निःशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन पर कॉल करें

14416, 180089 14416

Tele MANAS 14416

NATIONAL MENTAL HEALTH PROGRAM

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं (आईईसी) राजस्थान, जयपुर

NATIONAL HEALTH MISSION राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. सेवाएं राजस्थान